रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी)
(भारत सरकार का उद्यम)

कोर-4, स्कोप कांपलेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
टेलीफोनः 24362483
फैक्सः 24360644

सं. आरईसी/आईटी/93/2008 दिनांकः 11.12.2008

विषयः दो सोनी वीएआईओ लैपटॉप (मॉडल सं.वीजीएन-जैड26जीएन/बी) खरीदने के लिए दर हेतु अनुरोध।

प्रिय महोदय,

विद्युत मंत्रालय के अधीन आने वाला रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) दो सोनी वीएआईओ लैपटॉप (मॉडल सं.वीजीएन-जैड26जीएन/बी) खरीदना चाहता है। आपसे अनुरोध है कि आप निम्नलिखित फार्मेट में हमें वे सर्वोत्तम दर देने की कृपा करें, जो सरकारी संगठन को दी जाती हैं :

क्रम सं.	**मद**	**मात्रा**	**यूनिट दर (रुपयों में)**	**कर (रुपयों में)**	**कर सहित कुल कीमत (रुपयों में)**
1.	कैरी बैग सहित सोनी वीएआईओ लैपटॉप (मॉडल सं.वीजीएन-जैड26 जीएन/बी), जिसके संबंध में साइट पर एक वर्ष की व्यापक वारंटी हो।	2			

- मुहरबंद लिफाफे, आईटी प्रभाग, पहली मंजिल, आरईसी लिमिटेड, कोर-4 स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली को दिनांक 18.12.2008 के 3.00 बजे अपराह्न तक भेजे जाने चाहिएं।
- न्यूनतम दर बोलीदाता, कुल जोड़ का हसाब लगाकर आएंगे।
- उपर्युक्त मात्रा सांकेतिक है और कार्य करते समय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर यह बढ़ भी सकती है।
- अदायगी वास्तविक खरीद के आधार पर की जाएगी।
- विक्रेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी मदों के लिए दर का उल्लेख करे।

- आरईसी लिमिटेड का निर्णय अंतिम होगा और आदेश देने के संबंध में बोलीदाताओं पर आबद्धकर होगा।

शर्तें:

- **सुपुर्दगी की शर्त** क्रय आदेश जारी किए जाने के 4 सप्ताह के अंदर,
- **अदायगी की शर्तें:**

o क्रय आदेश में उल्लिखित गंतव्य स्थान/स्थल पर सफलतापूर्वक सुपुर्दगी करने तथा संस्थापित करने और चालू करने पर 80% अदायगी।

o संस्थापन के स्थान पर सफल कार्य-निष्पादन के एक माह बाद शेष 20% की अदायगी। इस एक माह की अवधि में यह आवश्यक है कि अंतिम प्रयोक्ता को कार्य-निष्पादन के बारे में कोई शिकायत न हो/संस्थापित प्रणालियों में कमी न पाई जाए। क्रय आदेश के मूल्य के 10औ के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करना, जो वारंटी के बाद 3 महीने की अवधि तक विधिमान्य हो।

- **विलंब के लिए दंडः**

क. संविदा में समय महत्वपूर्ण होता है। सफल बोलीदाताओं को चाहिए कि वे क्रय आदेश सौंपे जाने के 6 सप्ताह के अंदर सभी उपस्करों की आपूर्ति करे, उन्हें संस्थापित करे, उनका परीक्षण करे और उन्हें चालू करे। नियत तारीख को या उससे पहले सभी या कुछ उपस्कर (उपस्करों) की आपूर्ति न करने या उन्हें चालू न करने पर प्रति सप्ताह संविदा पैकेज कीमत के मूल्य के 0.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिशतता दंड लगाया जाएगा, जो कुल संविदा मूल्य के अधिक से अधिक 10% तक होगा। लिक्विडेटिड क्षति की अदायगी के कारण सफल बोलीदाताओं के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

ख. यदि निर्धारित समय-सीमा के 10 दिन बाद तक इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो आरईसी को अधिकार है कि वह इस आदेश को रद्द कर देगा।

भवदीय,

ह./-
पी.के. मुखोपाध्याय
उप महाप्रबंधक (आईटी/ईआरपी)